

## Madhya Pradesh Industrial Development Corporation



M PIDC (M adhya Pradesh Industrial Development Corporation)'s acting as the Single Window Secretariat for Investment promotion and facilitation in the state since 2004. M PIDC has developed an ICT (Information & Communication Technology) enabled single window system, which allows investor to apply online for various approvals required to setup a business in the state. The timelines for the approvals /services provided through single window portal are mentioned below. These timelines are notified under Public Service Guarantee Act.

### Citizen Charter for Single Window System Services

|          | otizen Giartei ioi Single Window System                      | <u>Services</u>     |
|----------|--|---------------------|
| Sr. No L | ist of Services Timeline                                     |                     |
| Α        | Industrial Policy and Investment Promotion                   |                     |
|          | Allotment of Land  | 59 Days             |
|          | a. Issuance of Letter of Intent - 15 Days                    |                     |
| 1        | b. Issuance of Allotment order - 7 Days                      |                     |
|          | c. Execution of Lease deed - 30 Days                         |                     |
|          | d. Possession - 7 Days                                       |                     |
| 2        | Water Connection by AKVN                                     | 15 Days             |
| 3        | Building Permission by AKVN                                  | 30 Days             |
| 4        | Registration of Boilers                                      | 30 Days             |
| 5        | Boiler Inspection & Renewal                                  | 17 Days             |
| 6        | Permission to Transfer Boiler                                | 15 Days             |
| 7        | Registration under Boiler Act to work as Erector             | 30 Days             |
| 8        | Registration under Boiler Act to work as Manufacturer        | 30 Days             |
| 9        | Renewal under Boiler Act to work as Erector                  | 30 Days             |
| 10       | Renewal under Boiler Act to work as Manufacturer             | 30 Days             |
| 11       | Permission for Manufacturing of Boilers under Boilers Act    | 15 Days             |
| 12       | Registration of Partnership Firm                             | 20 Days             |
| 13       | Registration of Societies                                    | 20 Days             |
|          | Fiscal incentives (As per policy)                            |                     |
|          | Issuance of intent letter                                    | 03 Days             |
| 14       | Granting sanction and disbursal of applicable incentives     | 60 Days             |
| В        | Labour Department  |                     |
|          |  | 30 Days             |
| 15       | Registration under Shops & Establishment Acts                | (Provisional 1 Day) |
| 16       | Renewal under Shops & Establishment Acts                     | 30 Days             |
|          | License and renewal of license for contractors under         | 30 Days             |
| 17       | provision of The Contracts Labour (Regulation and Abolition) |                     |
| 17       | Act, 1970  | <u> </u>            |

| 18 | Factory License (under hazardous & non- hazardous category)   | 30 Days                     |
|----|---|-----------------------------|
| 19 | Renewal of Factories License  | 30 Days                     |
| 20 | Factory Building Plan Approval  | 30 Days                     |
| 21 | Registration under The Building and Other Construction Workers (BOCW)   | 30 Days                     |
| 22 | Registration certificate of Establishment Inter State Migrant Workmen (RE&CS) Act,1979  | 30 Days                     |
| 23 | Registration of Principal Employer's Establishment under provision of The Contracts Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 | 30 Days                     |
| С  | Energy Department   |                             |
| 24 | Electricity Connection - HT (East, West, Central Zone)  | _07 Days                    |
| D  | Urban Development & Environment Department  |                             |
| 25 | Fire NOC (No Objection Certificate)   | _60 Days                    |
| 26 | Trade License   | _30 Days                    |
| E  | M P Pollution Control Board   |                             |
| 27 | Consent to Establish ( Under Water Act & Air Act)   | _45 Days                    |
| 28 | Consent to Operate ( Under Water Act & Air Act)   | _45 Days                    |
| 29 | Authorization under Hazardous Waste Rules   | _45 Days                    |
|    |   | 45 Days (Red)               |
|    |   | Self-Certification (Green & |
| 30 | Consent to Operate Renewal (Under Water & Air Act)  | Orange)                     |
| F  | Department of Commercial Tax  | 04 D                        |
| 31 | Profession Tax Registration   | _01 Day                     |
| G  | State Excise Department   | o= 5                        |
| 32 | L-1 and L-2 License   | _07 Days                    |
| Н  | Registration & Stamp Department   | 04 D                        |
| 33 | Property Registration   | _01 Day                     |
| l  | Food & Drugs Administration   | 45.5                        |
| 34 | Drug License  | _15 Days                    |
| J  | Food and Civil Supplies (Controller Weights and Measures  |                             |
| 35 | License as Manufacturer of Weights and Measures   | _45 Days                    |
| 36 | License as Dealer of Weights and Measures   | _30 Days                    |
| 37 | License as Repairer of Weights and Measures   | _30 Days                    |
| 38 | Registration as Packers/Importer of Weights and Measures  | _7 Days                     |

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी ऊर्जन लोड किया जा सकता है.



## मध्यप्रदेश राजपत्र

### ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 398]

भोपाल, गोगलबार, दिनांक 29 सितम्बर 2015-आधिवन 7, शंक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक ३९ सितन्बर २० ६

क्र. एक 2-13-2012-इक्सल-लंनेप्र-पो.इस.जी.-2.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गरंटी आधिनवन, 2010 (प्रानांक 24 सन् 2010) को भार 3 के द्वारा प्रदान शांकियों को प्रयोग में लाते हुए, श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वालो सेवाएं एवं पदाधिहरू अधिकारों का पदनाप, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अधिकारों का पदनाप, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अधिकारों का पदनाप किमानुसार अधिस्कृषित करती है, अश्वात :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् श्रम विभाग की सेवाएं

| <b>ж</b> . | सेवाकानाम  | पदाभिक्षित अधिकारी<br>कर<br>पदनम | संवा प्रदात<br>करने की निश्चित<br>समय-सीमा | प्रथम अपीलीय<br>अधिकारी का<br>पदगम | प्रथम अपील<br>के निराकरण<br>की निश्चित<br>समय-सीमा | दितीय अपील<br>प्राधिकारी का<br>पदनाम |
|------------|--|----------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| (1)        | (2)  | (3)                              | (4)  | (5)                                | (6)  | (7)                                  |
| 2.18       | दुकान संस्थान की<br>स्थापना पंजीयन में<br>संजोधन                       | प्राधिकृत अप<br>अधिकारी,         | 30 कार्च<br>दिवस.                          | कलेक्टर                            | 30 कार्य<br>दिवस.                                  | संभगायुक                             |
| 2.19       | दुकत्न संस्थान की<br>एथापना पंजीयन में<br>संस्थीधन के साथ<br>नवीनीकरण, | प्राधिकृत श्रम<br>अधिकारी.       | 30 कार्य<br>दिजस.                          | कलेक्टर                            | ३० कार्य<br>दिवस,                                  | संभागायुक्त                          |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशनुसार. इरिरंजन राज, सचित्र

795

निर्वाचन, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, नाथप्रदेश हार शासकीय केन्द्रीय मुद्रणसन्य, भोगास से मुद्रेय तथा प्रकारिय—2015.

| सेवा<br>इ.  | सेवाएं   | पदाभिहित अभिकारी<br>का पदनग   | सेवा प्रदान<br>करने की<br>निश्चित<br>समय सीमा | प्रथम अपील<br>अधिकारी कः<br>पदनम | प्रथम क्षपील<br>के निराकरण<br>को निश्चित की<br>गई सगय-सीम    | हितीय अपील<br>प्राधिकारी का<br>गदनान |
|-------------|--|---|---|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| (1)         | (2)  | (3)   | (4)   | (5)                              | (8)  | (7)                                  |
| 2.15        | अन्तर जिल्हीय प्रवासी<br>कर्मकार (निर्दोदन क.<br>विनियमन एवं सेवा १उँ)<br>अधिनियन, १९७९ के<br>अन्तर्गट जारी पंजीयन<br>उन्हें साचसेंस का प्रदाय<br>करना | जिला स्तरीय श्रम<br>अधिकारी/जिले में<br>राजपत्रित श्रेणी का<br>अधिकारी मुद्दस्य न<br>होने पर संबंधित संभाग<br>का सहातक श्रमायुक्त,                    | .30 कार्य<br>दिलस.                            | <b>क्लेक्ट</b> र                 | 30 व्यार्थ<br>दिवस.  | र्रंभाग स्वयुक्त                     |
| सेवा<br>क्र | सेवार्   | पदाधिहित अधिकारो<br>वा पदनाम  | सेवा प्रदान<br>करने की<br>निश्चित<br>समय-सीमा | उधम् अणील<br>अभिकारी का<br>पदनाम | प्रथम अणील<br>के निराकरण<br>को निर्देशन<br>को गई<br>समय लोगा | दितीय अमील<br>प्राधिकारी का<br>पदनाम |
| (1)         | (2)  | (3)   | (4)   | (5)                              | (6)  | (7)                                  |
| 2.5         | लीवदा थम ( वि. एवं<br>स.) अधिनियम, 1970<br>के अन्तर्गत ठेकेदारों को<br>अनुज्ञप्ति का प्रदाय  | राजपंत्रित हेणी का जिला<br>स्तरीय श्रम श्राधिकारी<br>जिले में राजपंत्रित होणी<br>का ऑफिजारी मदस्य न<br>होने पर संबंधित संभाग<br>का सहायक श्रम आयुक्त. | 30 कार्य<br>दिवस                              | उग ध्रमायुक्त                    | 45 कार्य<br>दिवस   | अपर अभाष्ट्रक<br>अमायुक्त            |
| सेवा        | संवार्ष  | मदाभिहित अधिकारी  | सेवा प्रदान                                   | प्रथम अवील                       | प्रथम अपोल   | द्वितीय अपील                         |
| €.          | Money<br>A   | का पदनाम  | करने की<br>निश्चित<br>लमय-सीमा                | अधिकारी का<br>एड्नम              | के निराकरण<br>की निश्चित की<br>गई समय-सीमा                   | प्राधिकारी का<br>पदनाम               |
| (*)         | (2)  | (3)   | (4)   | (5)                              | (6)  | (7)                                  |
| 2.11        | कारणाना आंधिनयम,<br>1948 को धार को धार<br>6, 7 सहनतित नियम 6<br>के अंग्रेगी गैर स्वत्तनाक<br>श्रेणी के कारणानों को<br>नयीन अनुजीपा जारी<br>किया जाना.  | मुख्य कारखाना<br>निरोक्षक, ग. प्र. इन्दौर<br>(संजालक, आंद्योगिक<br>न्यास्थ्य एवं सुख्या).   | 30 कार्य<br>दिवस                              | श्रम अत्युक्त, म. प्र.<br>इंदीर, | 30 कार्य<br>दिवस.  | प्रमुख सचिव :<br>सचिव:<br>अम विभाग:  |

| सेवा | सेवाएं | पदाभिहित अधिकारी | सेवा प्रदान | प्रथम अपील | प्रथम अपोल    | द्वितीय अपील  |
|------|--------|------------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| 丣.   |        | का पदनाम         | करने की     | अधिकारी का | के निराकरण    | प्राधिकारी का |
|      |        |                  | निश्चित     | पदनाम      | की निश्चित को | पदनाम         |
|      |        |                  | समय-सीमा    |            | गई समय-सीमा   |               |
| (1)  | (2)    | (3)              | (4)         | (5)        | (6)           | (7)           |

2.20 कारखाना अधिनिवम 1948 की धारा 6, 7 सपीठत नियम 3-ए के अंतर्गत कारखानों के साईट प्लान एवं विस्तृत नक्शों की अनुज्ञा जारी किया जाना.

श्रम आयुक्त, म. प्र., इंदीर. मुख्य कारखाना 30 कार्य निरोधक म. प्र. इंदौर दिवस. (संचालक, औद्योगिक स्वारस्य एवं सुरक्षा).

प्रमुख सचिव/ 30 कार्य दिवस. सचिव अम विभाग.

2.17 मोटर एवं अन्य संनिर्माण शुक्रपत्रित श्रेणी का कर्मकार अधिनियम, जिल्ला स्तरीय अम १९९६ के अंतर्गत पंजीयन का प्रदाय

अधिकारी / विलो में राजपत्रित श्रेणी का अधिकारी पदस्य न होने पर संबंधित संभाग का सरायक श्रमायुक्तः

क.लंक्टर

30 कार्य संधाग आयुक्त

दिवस.

### गुन्दि-पत्र

30 414

दिवस.

ङ. एक-2-13-2012-इकसठ-सोरोप्र-पो.एस.णो -2.—िशानीम समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 189, दिनांक 18 मई, 2015 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 18 मई, 2015 में जानकोज कोक लेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत जम निभाग की सेवाएं प्रकाशित की गई हैं, आँधनुष्या के पृष्ट क्रमीक 577 सेवा क्रमांक 2.17 के कॉलम (2) में धर्मित सेवाएं में डल्लेस्वित "मोटर" के रबान पर "भवन" पहा जावे.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरिरंजन राव, सचिव,

इसे नेबसाईट www.govrpressmp.nic.in से भी डाउन लोट किया जा सकता है.



## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

RHI® 626∫

भीपाल, जुशवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2014-भीव 3, गुक्र 1936

लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, बल्तभ भवत, भोजाल

भीपास, दिनांक 24 दिसाबर 2014

कः एक ३ 15 2012-इकस्तर-लोसंत्र-ची.एस.ची.-17 --मध्यत्रदेश जोक सेवाओं के प्रदान की गार्रटी अधिकित, 2012 (क्रमांक 24 सन् 2010) की भरा 3 द्वार प्रदन् सन्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वार आदेश दियांक 16 अप्रील 2013 के माध्यम से अध्यक्ष एवं प्रचीवरण विभाग (यहाँमान में नाग्रीय विकास एवं नवाँवरण) द्वार उपलब्ध करवाई जाने कली सेवाए, पदाधिहत अधिकारी का पटनाम, सेवार्ड प्रचान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पटनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय सीमा तथा हितीय अपील प्राधिकारी का पदराम अधियुचित किया गया है. उन्हें अधिस्वना में निमानुसार संशोधन फरतो हैं, अर्थात् :---

#### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी आंधिनियम. 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं पर्वाचरण विभाग को संवाएं

| 死.  | सेंगर् | पदाभिष्ठित अधिकारी<br>का भदनाम | सेवा प्रदान<br>करने की<br>विश्वित | प्रथम अपील<br>अधिकारी का<br>पदनान | प्रथम अपील<br>के निरावरण<br>की निश्वत | द्वितीय अपीता<br>प्राथिकारी का<br>पदाम |
|-----|--------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
|     |        |                                | समय-स्रोमा                        |                                   | सम्ब सीमा                             |  |
| (-) | (2)    | (3)                            | (4)                               | (5)                               | (6)                                   | (7)                                    |

नियंत्रण मंडल.

30 कार्न

दिलस

अध्यक्ष च.ए.

एड्डण नियंत्रण

यो है.

17.3 वर्स (प्रदूषण निवारण क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय 45 कार्य सदस्य सर्विव, म.प्र. ग्रहणा तथा नियंत्रम) अधि-कार्याटच म.प्र. प्रदूषण नियम, 1974 की धार नियंत्रण बोर्ड. 25 के तहर प्रवृत्वरण स्वीद्यति से प्रकरणों के अतिरिक्त सम् प्रेणी उद्योगों को सम्मति.

दिवस

| 17.4 | वायु (प्रतूषनं निवारणं<br>तथा निर्यारणं)<br>आधिनियन, १४४१ की<br>धारा ३१ के उड्डत्<br>चर्वांतरणं स्थीकृति के<br>प्रकरणे के अतिरिक्त<br>लाषु श्रेणी उड्डीकों की<br>सम्मति.  | शेषीय अधिकारी, क्षेत्रीय<br>कार्यालय, भाग्न प्रदूषण<br>निराप्त्य बोर्ड.   |                   | सदस्य साँधव, म.प्र. प्रदूषण<br>निर्धेत्रण थेशल                   | 30 শবর্থ<br>হিন্দর | अध्यक्ष, म.ए.<br>प्रदृष्ण नियंत्रम<br>नीडे.      |
|------|---|---|-------------------|--|--------------------|--|
| 17.7 | जल (प्रदूषण निकारण<br>गया निर्भातक)<br>अधिनियम, १९७४ की<br>भारत 25 के सहस्<br>पर्याचरण स्थीकृति के<br>प्रकरणों के अरिरिक्त<br>सुध्य / मरुबस श्रेणी<br>हर्षों में स्थापन,  | अध्यक्ष, ग.म. प्रतृषण<br>नियंत्रण बीर्ड   | वह नहाय<br>विकस   | टण सम्बद्धः स्थ्यप्रदेशः<br>शास्त् रागरीव विकास एव<br>पर्योकस्यः |                    | प्रमुख समिन,<br>नगरीय विकास<br>एवं प्रयोगातः     |
| 1/3  | बाबू (प्रदूषण निवासण<br>तथा (भिन्नेश्रण)<br>अधिनियम, 1981 की<br>साम 21 के उन्नत्<br>प्रयोगरण उमोकृति के<br>प्रकरणों के अधिरिक<br>मृश्यद्व मध्यप क्षेणी<br>उद्योगों को सम्पत्ति  | आध्यक्ष, १८.५. प्रवृषण<br>निवंद्रम बोर्ट.   | तंड कार्य<br>दिवस | ट्रप्य साचिव, प्रध्यप्रदेश<br>शासन, नगरीर विकास एवं<br>पर्यक्षम  |                    | प्रमुख धर्मिक<br>नगरीय विकास<br>एड मर्माकरण      |
| 17.  | (3 लाल/नार्गी/करी श्रेको व<br>तर्भ कर्ण्ड एक लागत का<br>उद्योगों 5000 व्यक्ति<br>तक निर्माण वरल<br>आवस्त्रीय योजनाओं<br>योलस्य गिट्टी एवं रे<br>ख्यार को प्रश्मिकटमा<br>अपिक्ष के अन्तर्गत प्रश्मिक<br>(17) प्रकार के<br>अतिप्रदूषभकाती एव<br>पर्यावरणीय स्वोकृति नार<br>एवं दकारताल अपितारों के<br>रिसार वर्गलांग एवं<br>रिसार वर्गलांग एवं<br>रिसार वर्गलांग एवं<br>रिसार वर्गलांग को अद्योगों<br>को ध्ये इकर). | ले योशीय कर्यांत्रक्ष,<br>र म ६ प्रदूषण निर्वेषण<br>में सोई,<br>त   | 45 फार्च<br>दिवस. | स्ट्लय मन्तिः<br>प. उ. प्रदृष्ण<br>नियतम् भेडलः                  | 20 कार्य<br>दिवस   | अध्यक्ष, य. प्र.<br>प्रदृष्णा निषेत्रण<br>चौडें. |
| 17.1 | 6 लाल/गरंगी/हरी केणी वं<br>10 करोड़ लागत र<br>अधिक वृड्डट्रप्पट्या<br>उद्योगों 5000 वर्गमीटर र<br>अधिक की निर्माण<br>परियोजनायें, मेजर एर<br>मर्द्रगर मिनाल्स की सर्थ<br>खदानों को परिसंक्टमा<br>अपरिग्रन्थ नियम, 2016 के   | ते प्रदूषक नियंत्रण<br>प्रदेशक नियंत्रण<br>ते<br>ते<br>ते<br>ते<br>ते<br>ते<br>ते<br>ते<br>ते<br>ते<br>ते<br>ते<br>ते | 45 कार्य<br>दिवसः | उप सचिष<br>मध्यप्रदेश<br>श्रासनः                                 | ३० कार्च<br>दिवसः  | प्रमुख सचिव,<br>नगरीय विकास<br>एवं पर्यानस्य.    |
|      | निकम के अन्तर्गेत<br>प्राधिकार  |   |                   | 3  | Ņ.                 |  |
|      | and torces  |   |                   |  |                    |  |

इसे वेक्साईट www.govtpressmp.nic.In से भी डाटन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 481]

भोपाल, पंगलवार, दिनांक 5 सिवम्बर 2017- भार 14, शक 1939

### लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनक 5 सितम्बर 2017

क. एफ 2-15-2012 इकराठ लोसे9-गी.एस.जो. 1.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की बात 3 हारी प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदहार उर्ज विभाग हार उपलब्ध करवाई जाने वालो नवीन सेवाएँ, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय सीमा, प्रयम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसृचित करती है, अर्थात:—

## मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत उर्जा विभाग की सेवाएं

| सेवा | सेवाएँ   | पदाधिहित अधिकारी                               | सेवा प्रदान                    | प्रथम अमील<br>अधिकारी का | प्रथम अपील<br>के निराकरण      | दितीय अपील<br>प्राधिकारी का |
|------|--|--|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 东.   |  | का भदनाम                                       | करने की<br>निश्चित<br>समय-सीमा | पद्नाम                   | की निश्चित की<br>एसी समय-सीमा | पदनाम                       |
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)                            | (5)                      | (6)                           | (7)                         |
| 1,16 | अ. मोटए<br>सर्विस लाहन   | अ. शहरी क्षेत्र-जोन/<br>वितरण केन्द्र प्रभारो. | 5 कार्य<br>दिवस                | कार्यपालन वंत्री         | 15 कार्य<br>दिवस.             | अधीक्षण<br>अभियंता.         |
|      | अथवा मीटर<br>की परिसर में<br>हो शिफ्टिंग<br>हेतु मांग पत्र<br>जारी करना. | व. प्रामीण क्षेत्र<br>खितरण केन्द्र प्रभारी.   | 10 कार्य<br>दिवसः              | कार्यपाल⊣ येत्री         | 15 कार्य<br>दिवस.             | अधीक्षण<br>अभियंता.         |

| (1)  | (2)                        | (3)                    | (4)      | (5)              | (6)      | (7)             |
|------|----------------------------|------------------------|----------|------------------|----------|-----------------|
|      | ब. मांग पत्र               | अ. शहरी क्षेत्र-जोन/   | 5 कार्य  | कार्यपालन यंत्री | १५ कार्य | <b>અધીક્ષ</b> ળ |
|      | अनुसार राशि<br>जमा करने के | वितरण केन्द्र प्रभारी. | दिवस.    |                  | दिवस.    | अधियंता         |
|      | उपरांत मीटर/               | व, ग्रामीण क्षेत्र-    | 10 कार्य | कार्यपालन यंत्री | 15 कार्य | अधीक्षण         |
|      | सर्विस लाइन                | वितरण केन्द्र प्रभारी. | दिवस.    |                  | दिवल.    | अभियंता         |
|      | अथवा मीटर                  |                        |          |                  |          |                 |
|      | की परिसर में               |                        |          |                  |          |                 |
|      | ही शिफ्टिंग                |                        |          |                  |          |                 |
|      | करना.                      |                        |          |                  |          |                 |
| 1.17 | विवादित                    | अ. सहरी क्षेत्र-ओन/    | 5 कार्य  | कार्यपालन यंत्री | 15 कार्य | अधीक्षण         |
| 000  | बिजली विल                  | वितरण केन्द्र प्रभारी: | दिवस.    |                  | दिवस.    | अभियंत          |
|      | की शिकायत                  |                        |          |                  |          |                 |
|      | का निराकरण                 | ब. प्रामीण क्षेत्र     | 10 कार्य | कार्यपालन यंत्री | 15 कार्य | अधीक्षण         |
|      | (बिजली चोरी                | वितरण केन्द्र प्रभारी. | दिवस.    |                  | दिवस.    | अधियंत          |
|      | के प्रकरणों को             |                        |          |                  |          |                 |
|      | छोड़कर).                   |                        |          |                  |          |                 |
| 1.18 | वकाया एशि                  | अ. शहरी क्षेत्र जोन/   | 2 কার্থ  | कार्यपासन यंत्री | 15 कार्य | અધીક્ષળ         |
|      | का भूगतान                  | वितरण केन्द्र प्रमारी. | दिवस.    |                  | दिवस.    | अभियंत          |
|      | <b>उपरांत</b>              |                        |          |                  |          |                 |
|      | विच्छेदित                  | व, ग्रामीण क्षेत्र-    | य कार्य  | कार्यपालन यंत्रो | 15 कार्य | अधीक्षण         |
|      | कनेक्शन को                 | वितरण केन्द्र प्रभारी. | दिवस.    |                  | दिवस.    | अधियंत          |
|      | पुन: संवोजित               |                        |          |                  |          |                 |
|      | करना.                      |                        |          |                  |          |                 |

क. एक 2 13 2012-इकसउ-लोसेप्र-पी.एस.जो.-34.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) को घारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदहारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतगत नाम तील विभाग को मूर्व में जारों अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2017 में संशोधन करते हुए नामतील विभाग हाथ उपलब्ध करवाई जाने वाली नवान सेवाएं, पदाधितित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-लोमा, प्रयम अपील आधिकारों को पदनाम, प्रयम अपील आधिकारों को पदनाम, प्रथम अमील अधिकारी हारा निएकरण के लिए निश्चित की गई समय सीमा, तथा द्वितीय अभील प्राधिकारों का पदनाम निम्नानुसार अधिसृचित करती हैं, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत नाप तील विभाग की सेवाएं

| सेपा | सेवाएं                             | সন্মধিয়িত অধিকারী   | येक प्रचान          | प्रयम भगील       | प्रथम अफील                    | हिंचीच अपील              |
|------|------------------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 獂.   |                                    | का पदनाम   | करने को             | अधिकारी का       | के निराकरण                    | प्राधिकारी का            |
|      |                                    |  | निश्चित<br>समय-सीमा | पदनाम            | की निश्चित की<br>गयी समय सीमा | गदनाम                    |
| (1)  | (2)                                | (3)  | (4)                 | (5)              | (6)                           | (7)                      |
| 39   | वीन निर्माता<br>ानुइप्ति<br>दायगी. | नियंत्रक नाप-तील<br>द्वारा अधिकृत<br>अधिकारी (संयुक्त<br>नियंत्रक/दाशमिक<br>अधिकारी) | 45 कार्य<br>दिवस.   | नियंत्रक नाप-तौल | 30 कार्ज<br>दिवस.             | प्रमुख<br>सचिव,<br>खादा. |

| (1)   | (2)   | (3)   | (4)               | (5)              | (6)                | (7)                         |
|-------|---|---|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 34.14 | निर्माता<br>अनुबर्गित का<br>नवीनीकरण,                                     | नियंत्रक नाप-तील<br>द्वारा अधिकृत<br>अधिकारी (संयुक्त<br>नियंत्रक/दाशमिक<br>अधिकारी). | 30 कार्य<br>दिवस. | निजंजक नाप तील   | 30 कार्य<br>दिवस.  | प्रमुख<br>सचिव,<br>खाद,     |
| 34.15 | नवीन विक्रेता<br>अनुज्ञप्ति<br>प्रदायगी.                                  | नियंत्रक नाप-तील<br>द्वारा अधिकृत<br>अधिकारी (संयुक्त<br>नियंत्रक/दाशमिक<br>अधिकारी). | 30 कार्य<br>दिवस. | नियंत्रक नाम वौल | 30 कार्थ<br>दिवस.  | ग्रमुख<br>सचिव,<br>खाद्य,   |
| 34.16 | विक्रेता<br>अनुज्ञप्ति का<br>नवीनीकरण,                                    | नियंत्रक नाप-तील<br>द्वारा अधिकृत<br>अधिकारी (संयुक्त<br>नियंत्रक/दाशमिक<br>अधिकारी). | 15 कार्य<br>दिवस, | नियंत्रक नाप-तील | 30 कार्य<br>दिवसः  | प्रमुख<br>सचिव,<br>खाद्य.   |
| 34,17 | नबीन<br>सुधारक<br>अनुज्ञप्ति<br>प्रदायगो.                                 | नियंत्रक नाप-तील<br>द्वारा अधिकृत<br>अधिकारी (संयुक्त<br>नियंत्रक/दाशमिक<br>अधिकारी). | 20 कार्य<br>दिवसः | नियंत्रक नाप-तौल | 30 कार्ये<br>दिवस. | प्रमुख<br>सचित्र,<br>खाद्य. |
| 34,18 | सुधारक<br>अनुत्रप्ति का<br>नवीनीकरण.                                      | नियंत्रक नाप-तील<br>द्वारा अधिकृत<br>अधिकारी (संयुक्त<br>नियंत्रक/दाशमिक<br>अधिकारी). | 15 कार्य<br>दिवस, | नियंत्रक नाप-तील | 30 कार्य<br>दिवस.  | प्रमुख<br>सनिव,<br>खाद्य,   |
| 34.19 | पैकबंद<br>वस्तुओं के<br>निर्माता/<br>पैककर्ता/आया<br>एकर्ता का<br>पंजीयन: | नियंत्रक नाप-तौल<br>द्वारा अधिकृत<br>अधिकारी (संयुक्त<br>नियंत्रक/दाशमिक<br>अधिकारी). | 07 कार्य<br>दिजस. | नियंत्रक नाप-तौल | 07 जार्च<br>दिवस.  | प्रमुख<br>सचिव,<br>खाद्य.   |

क. एक-2-13-2012 इकसर-लोसेप्र-पो.एस.जो.-35,—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते तुए, राज्य सरकार, एतद्हारा सहकारिता विधाग द्वारा उपलब्ध करवाई जरने वाली नवोन सेवाएँ, पदाधिहत अधिकारों का पदनाग, सेवा प्रदान करने के लिए विश्वित की गई समय-सीमा, प्रथम अधील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अधील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, तथा द्वितीय अमील प्राधिकारों का पदनाम निम्नानुसार अधिसृचित करती है, अर्थात्:—

|     |  |  |                    |   |                    | 7,700 17.0 57   |
|-----|--|--|--------------------|---|--------------------|---|
| (1) | (2)                                    | (3)  | (4)                | (5)  2. संभागीय संपूजत संसालक, नगर प्रथा सम्भागियेश (जहां उप संचालक निया) अभिकार के रूप में पदस्थ हैं). | (6)                | (7)   |
|     | 2. कॉलोनी<br>विकास अनुजा<br>(अंग्रेटिक | <ol> <li>(1) कलंतठर, नगरमालिका एवं<br/>नगर परिपद के लिए,</li> </ol>                              | ३६ नामं<br>जिल्ला, | संभाग आयुग्त  | ३७ कार्च<br>दिवस   | आयुक्ता, नग्रीय<br>ग्रशासन एवं<br>विकास               |
|     | िनकास).                                | <ul><li>(2) आयुक्त, नगरमक्तिक निगम<br/>के लिए.</li></ul>   | ३० कार्य<br>दिवस,  | संभाग आयुक्त  | 30 ਬਰਪੀ<br>ਵਿਚਲ,   | आयुक्त, नगरीय<br>प्रश्नासन पूर्व<br>जिकास             |
| 5.7 | भवन अनुहर<br>अमाज-एतः                  | <ol> <li>तगरपालिकात्ममर परिष्क्<br/>धेर का मुख्य नगरपालिका<br/>अधिकारी.</li> </ol>               | ३० वज्ञं<br>दिवस,  | कत्तेवटर  | 30 कार्य<br>दिवस.  | आसुनत, नगरीय<br>प्रशासन एय<br>विकास                   |
|     |  | (२) नगरपालिक निगम क्षेत्र में<br>आयक्त हारा प्रतिपक्त<br>अधिकारी (अति शाधिकात<br>किया गंभा है.). | 30 कार्य<br>दिवस,  | आयुक्त, नगर निमन  | 30 कार्य<br>दिवस   | आयुक्त, नगरीय<br>ग्रंथासन एव<br>विकास                 |
|     |  | (3) प्रायुक्त, तरस्पाणिक विचान   | 50 कार्य<br>दिवस,  | यत्वेक्टर   | 30 जार्ग<br>दियस   | आवुञ्ज, नगरीय<br>प्रजासन एव<br>विकास                  |
| 5.è | न्तायर<br>रूच औ.गो.<br>(1) जास्याई     | मुख्य अधियन्ता,<br>संचालनात्त्य, प्रश्रीय<br>प्रशासन एवं जिन्हाय,                                | 60 काय<br>विश्वस.  | अन्युक्ता, नगरीय प्रशासन<br>एवं विकासः  | 30 ਜ਼ਹਾਂ<br>ਵਿਚਦ   | षम्ख समिव<br>नगरीय विकास<br>एवं पर्यानस्थ<br>विभाग    |
|     | (३) नयीनीकश्य                          | मुख्य कःभिय-तः<br>संचालनालयः, नगरीय<br>प्रणासन एवं विकास   |                    | अ पुत्रत, चनसीय १४४ लट<br>पूर्व विकास   | 30 ਸ਼ਹਾਂ<br>ਵਿਕਸ਼, | प्रमुख सचित्र<br>संग्रीय विकार<br>एवं नयकिरण<br>विभाग |

हरिरंजन राष्ट्र, सचिव.

### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. ट्रॉयफेक की सेवाएं

| सेवा       | सेवाएं                 | पदाभिहित अधिकारी | सेवा प्रदान         | प्रथम अपील            | ्रथम अपील                   | द्वितीय अपील           |
|------------|------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>ж</b> : |                        | का पदनांप        | ्करने की<br>निश्चित | अधिकारी का<br>पदनाम   | के निराकरण<br>को निश्चित की | प्राधिकारी का<br>पदनाम |
|            |                        |                  | समय-सीमा            |                       | गई समय-सीमा                 |                        |
| (1)        | (2)                    | (3)              | (4)                 | (5)                   | (6)                         | . (7)                  |
| 37.1       | औद्योगिक<br>इकाइयों के | कार्यपालन यंत्रो | 15 कार्य<br>दिवस.   | महाप्रबंधक, एकैव्हीएन | 10 कार्य<br>दिवस,           | अध्यक्ष<br>एकेव्हीएन.  |
|            | लिये जल का<br>आवंटन,   |                  |                     |                       | 87 1174                     |                        |

इसे वेजसाईट www.govipressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



## राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमंक 256]

भोमाल, शनिवार, दिनांक 27 जून 2015—आपाद 6, शक 1937

### लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोगाल, दिनांक 27 जून 2015

क्र. एफ 2-13-2012 इक्स्सेट लोसेप्र-पी.एस.बी.-1.--मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की भारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य मरकार, एतदहारा, ऊर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अनील अधिकारी का पदनाप, प्रथम अपोल अधिकारी द्वार निरुक्तरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिकृषित काती है, अर्थात् :--

### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी ऑधनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् ऊर्जा विभाग की सेवाएं

| सेवा<br>क्र. | सेवाएं                                      |     | नदा भहित अधिकारी<br>का पदनाम                      | सेवा प्रदान<br>करने की<br>निश्चित<br>समय-सोमा | ष्ठथम अजील<br>अधिकारो का<br>पद्रम | কারি<br>কৌনি | । अपोल<br>नेरकरण<br>विचत की<br>मय-सीमा | द्वितीय अपील<br>प्राधिकारी का<br>पदनाम |
|--------------|---|-----|---|---|-----------------------------------|--------------|--|--|
| (1)          | (2)   | -99 | (3)   | (4)   | (5)                               |              | (6)                                    | (7)                                    |
| ^, <b>S</b>  | उच्च दान के<br>स्यायी नजीन<br>कनेम्सन का    | Я.  | 33 के. व्ही. तक व्<br>प्रभारी अधीक्षण यंत्री.     | त 7 कार्य<br>दिवस.                            | ક્ષેત્રીય મુહ્ય ક                 | भियंता       | 15 कार्य<br>दिवस.                      | प्रमुख (चाणिज्य)<br>कार्पोदेद कार्यालय |
|              | स्वीकृत एउ<br>(सँक्शन लेटर)<br>प्रदान करना. | ब.  | 132 एवं 220 के. वहीं.<br>क्षेत्रीय मुख्य अभियंता. | 30 कार्य<br>दिवस.<br>511                      | प्रमुख (वाणि<br>कार्पोरेड कार्यो  | 31.55        | 15 कार्य<br>दिवस.                      | ्रिषंध निदेशक                          |

इसे वेवसाईट www.govtpresmp.nic.ln से भी डाउन लॉट किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रगांक इन्छ]

भोगाल, मंगलवार, दिनांक 10 अवदूबर 2017 अपरिवन 18, शक 1939

### लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रात्त्रय, वाल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 10 अबदुबर 2017

क. एफ-2-23-2017 इकसठ-लोकेप्र-पी.एस.जी.-02.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) को धार 3 हारा प्रदार शिक्षयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एउट्हारा श्रम विभाग हारा उपलब्ध कराये जाने वाली नवीन सेवाएं पदाधिहेत अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए विश्वित की गई समय-सोमा, प्रथम अपील अधिकारी हारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्मानुसार अधिसृष्णित करती है, अर्थात्:—

### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की थारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएं

| सेवा<br>ऋ. | सेंवाएं   | पदाधिहित अधिकारी<br>का पदनाम | सेवा प्रदान<br>करने की<br>निश्चित<br>समय-सीमा | ग्रथम अगील<br>अधिकारी का<br>पदनाम | प्रथम अपील<br>के निराकरण<br>को निश्चित की<br>गई समय सीपा | द्वितीय अमील<br>प्राप्तिकारी का<br>पदनाम |
|------------|---|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| (1)        | (2)   | (3)                          | (4)   | (5)                               | (6)  | (7)                                      |
| 2.32       | संविद्य श्रम<br>(विनियम एवं<br>समाप्ति) अधिनियम<br>1970 के अंतर्गत<br>प्रमुख नियोजक को<br>पंजीयन प्रदान किया<br>जाना. | प्राधिकृत श्रम<br>अधिकारी    | ३० कार्य<br>दिवस.                             | उप श्रम आयुक्त                    | 45 कार्य<br>दिवस.  | अपर श्रम<br>आयुक्त/श्रम<br>आयुक्त,       |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरिनंजन राज, संधिव,

## मच्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धाय 3 के तहत वाणिज्य उद्योग एवं राजपार विभाग की सेवाएं

| सेवा | सेवाएं | नदाभिहित अधिकारी | सेवा प्रदान | ग्रथम अपील | प्रथम अपील    | द्वितीय अपील  |
|------|--------|------------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| sh.  |        | का पदनाम         | करने की     | नधिकारी का | के जिसकरण     | प्राधिकारी का |
|      |        |                  | निस्चित     | पदनाग      | की निश्चित को | मदनाम         |
|      |        |                  | समय-सीमा    |            | गई सगय-सीमा   |               |
| (1)  | (2)    | (3)              | (4)         | (5)        | (6)           | (7)           |

### षध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों/आईआईडीसी/एम.पी. ट्रायफेक के आधिपत्य के विकस्ति औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आवंटन हेतु

| 20,8 आशय पत्र नारी<br>करना.  | प्रबंध संचालक,<br>म. प्र. औद्योगिक<br>केन्द्र विकास<br>निगम/<br>आईआईढीसी.  | 15 कार्य दिवस<br>(विधियत् पूर्ण<br>आवेदन प्राप्त होने<br>के उपरांत).            | प्रबंध संचालक म. प्र.<br>ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट<br>फेसिलिटेशन कार्पेरेशन<br>लिमि भोपाल.    | 60 জার্ব<br>হিবস                | अध्यक्ष म. प्र.<br>ट्रेड एण्ड<br>इन्वेस्टमेंट<br>फेखिलिटेशन<br>कोपीरेशन लिमिः<br>भोपाल.   |
|--|--|---|---|---------------------------------|---|
| 20.9 आवंटन आदेश<br>नारी करना.  | प्रवंध संचालक,<br>म. प्र. औद्योगिक<br>केन्द्र विकास<br>निगम/<br>आईआईडीसी.  | 7 कार्य दिवस<br>(आशर्य पत्र में<br>विहित शर्ती की<br>पूर्ति होने के<br>उपरांत). | प्रबंध संचालक म. प्र.<br>ट्रेंड एण्ड इन्वेस्टमेंट<br>फेसिलिटेशन कार्पोरेशन<br>लिमि, भोपाल,  | 60 कार्य<br>दिवस                | अध्यक्ष म. प्र.<br>ट्रेज एण्ड<br>इन्बेस्टमेंट<br>फेसिलिटेशन<br>कोपॉरेशन लिमि<br>भोपाला  |
| 20.10 पटटा अभिलेख<br>का निष्पादन,  | प्रबंध संचालक,<br>म. प्र. औद्योगिक<br>केन्द्र विकास<br>निमम्/<br>आईआईडीसी.   | 30 कार्य दिवस<br>(आवंटन आहेश<br>की शर्तों को पुर्ति<br>सहित).                   | प्रबंध संज्ञालक म. प्र.<br>ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट<br>फेसिलिटेशन कार्पोरेशन<br>लिमि, भोपाल. | 60 কার্য<br>বিক্স               | अध्यक्ष म. प्र.<br>ट्रेंड एण्ड<br>इन्वेस्टमेंट<br>फेसिलिटेशन<br>कोपॅरिशन लिमि<br>भोपाल,   |
| 20.11 आधिपत्य प्रदान<br>करना.  | प्रवंध संचालक,<br>म. प्र. औद्योगिक<br>केन्द्र विकास<br>निगम/<br>आईआईडीसी.  | 07 कार्व दिवस<br>(पट्टा अभिलेख<br>के पंजीयन होने के<br>उपरांत).                 | प्रबंध संचालक म. प्र.<br>ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट<br>फेसिलिटेशन कार्योरेशन<br>लिमि, भोपाल,   | 60 कार्य<br>दिवस.               | वाध्यक्ष ग. प्र.<br>ट्रेड एण्ड<br>इन्वेस्टोरेंट<br>फेसिसिटेशन<br>कोपॅरिशन लिपि<br>भोपाल.  |
| 20,12 म. प्र. औद्योगिक<br>केन्द्र विकास<br>निगमों/आईआईडीसों<br>के अधीन नगरीय<br>क्षेत्रों के औद्योगिक<br>क्षेत्रों में भवन<br>निर्माण की अनुमति. | प्रबंध संचालक,<br>म. प्र. औद्योगिक<br>केन्द्र विकास निगम<br>लिमि./इण्डस्ट्रीयल<br>इन्फ्रास्ट्रक्चर<br>डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन<br>(ग्वालियर) एम. पी. | 30 कार्य दिवस.  | प्रवंध संचालक म. प्र.<br>ट्रेंड एण्ड इन्वेस्टमेंट<br>फेसिलिटेशन कार्पोरेशन<br>लिमि, भोपाल.  | 15 কার্ <mark>च</mark><br>হিসম. | अध्यक्ष म, प्र.  देह एण्ड  इत्वेस्टमॅट  फेसिलिटेशन कोपॅरिशन लिमि /प्रमुख सचिय,  म. प्र. शासन वाणिच्य ठघोण एवं रोवगार विभाग भीपाल. |

क्रमप्रदेश के राज्यपाल के नाम में तथा आदेशानुसार, हरिरंजन राज, सचिव,

### भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क. ५ए०-2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पॉ.एस.जी.-38. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतःद्वारा वाणिष्य उद्योग एवं सेवगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. संचालक वाष्ययंत्र द्वारा उपसम्भ कराये जाने वाली नवीन सेवाएं पदाभित्तित अधिकारों का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अनील अधिकारों का पदनाम, प्रथम अनील अधिकारों का पदनाम, प्रथम अनील अधिकारों है। अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिन्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म, प्र. संवालक वाष्यवंत्र की सेवाएं

| सेवा       | सेवाएं  | गदाभिष्ठित अधिकारी  | सेवा प्रदान                    | प्रथम अपील          | प्रथम अपील                                  | दितीय अगील   |
|------------|---|---|--------------------------------|---------------------|---|--|
| <b>95.</b> |   | का गदनाम  | करने जी<br>निश्चित<br>समय-सोमा | अभिकारी का<br>पदनाप | के निराकरण<br>को निश्चित की<br>गई रागय सीमा | प्राधिकारी का<br>पदनाम                                   |
| (1)        | (2)   | (3)   | (4)                            | (5)                 | (6)   | (7)  |
| 38.2       | वायलर<br>अधिनियम 1923<br>की यारा 8 के<br>अंतर्गत वायलर<br>का निरीक्षण.  | निर्गेक्षण बायलर<br>ग्रेड-2/ग्रेड प्रथम/<br>उप संचालक<br>बायलर (संचालक<br>बायलर हारा<br>कार्यक्षेत्र आवंटन<br>के अंतर्गत नामित<br>अधिकारी).   | 17 कार्थ दिवस                  | संचालक आयलर         | 30 कार्यं<br>दिलस.                          | प्रमुख सचिव,<br>वर्शणच्य उद्योग<br>एवं रोजनार<br>विभाग.  |
| 38.3       | भारतीय वायलर<br>विनियम 1950<br>के विनियम 392<br>(5) के अंतर्गत<br>वायलर<br>निर्माणकर्ता<br>इकाइयाँ का<br>अनुमोदन, | निरीक्षण बायलर<br>ग्रेड 2/ग्रेड प्रथम/<br>उप संच्यलक<br>बायलर (संचालक<br>बायलर द्वारा<br>कार्यक्षेत्र आवंदन<br>के उद्चर्यत नामित<br>अधिकारी). | 30 कार्य दिवस                  | संचालक यागलर        | 30 कार्य<br>दिवसः                           | प्रमुख सचित्र,<br>बाणिज्य उद्योग<br>एवं रोजगार<br>विभाग, |
| 38.4       | भारतीय बायलर<br>विनियम 1950<br>के विनियम 392<br>(5) के अंतर्गत<br>बायलर<br>इरेक्शनकर्जा<br>इकाईमों का             | निरोक्षण बायलर<br>ग्रेड-2/ग्रेड प्रथम/<br>उप संचालक<br>बायलर (संचालक<br>बायलर हारा<br>कार्यक्षेत्र आवंटन<br>के अंतर्गत नामित                  | 30 कार्य दिवस                  | संचालक व यलर        | 30 कार्य<br>दिवस:                           | प्रमुख त्तिथ,<br>वाणिञ्च ठद्योग<br>एवं रोजगार<br>विभाग.  |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इरिरंजन राव, सांचय,

### भोषाल, दिगांक 10 अवरूबर 2017

क्र. एक 2 23 2017 इकसत लोरोप्र-पी.५स.ची.-05.—मध्यप्रदेश लौक संवाओं के प्रदान को गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 हार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदहारा नगरीय विकास एवं आवास विधाग हारा उपलब्ध कराये जाने वाली उदीन सेवाएं, पदाभितित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी हारा निरावरण के लिए निश्चित की गई लमन सीमा राषा हितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिस्तृतिय करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवाएं

| सेवा | सेवाएं  | पदागितिक अधिकारी  | सेवा प्रदान                    | ग्रथम अगील                                     | प्रथम अपील                                 | डिवोच अपील   |
|------|---|---|--------------------------------|--|--|--|
| क्र. | समार  | का पदनाम  | करने को<br>निश्चित<br>समय-सीमा | अधिकारी का<br>गदनाम                            | के निराकरण<br>की निश्चित की<br>गई समय-सोमा | प्रा <b>धिका</b> री क<br>पदनाम                         |
| (1)  | (2)   | (3)   | (4)                            | (5)  | (6)  | (7)  |
| 5.9  | ट्रेंड लाहसँस   | मुख्य नगरपालिका<br>अधिकारी/नगर<br>परिषद् क्षेत्र के<br>लिए,                                   | 30 कार्य दिवस                  | गरियोजना अधिकारी,<br>जिला शहर जिकास<br>अभिकरण. | 15 कार्च<br>दिवस.                          | संभागीय संयुक्त<br>संचालक,<br>नगरीय विकास<br>एवं आवास. |
|      |   | आयुक्त, नगर<br>पालिक निगम<br>द्वारा प्राधिकृत<br>अधिकारी<br>नगरपालिका निगम<br>क्षेत्र के लिए, | 30 कार्य दिवस                  | आयुक्त, नगर पालिका<br>निगम,                    | 15 कार्य<br>दिवस.                          | अपर वायुक्त<br>नगरीय विकास<br>एवं आजास.                |
| 5.10 | नगरीय निकाय<br>सीम्म के अंतर्गत<br>युक्षों के परीक्षण<br>(युक्षों को<br>काटकर पिराने,<br>काटने, इटाने या<br>उसके व्ययन)<br>की अनुसा<br>अभिप्राप्त करना. | मुख्य नगरपालिका<br>अधिकारी/नगर<br>परिधद् क्षेत्र के<br>लिए,                                   | 30 কাৰ্য হিবম                  | परियोजना अधिकारी,<br>जिला शहर विकास<br>ऑपिकरण. | 15 कार्य<br>दिवस.                          | संभागीय संयुत्त<br>संचालक,<br>नगरीय विकास<br>एवं आवास. |
|      |   | यूक्ष अधिकारी<br>नगर पालिका<br>निगम क्षेत्र के<br>लिए   | 30 कार्य दिवस                  | आयुक्त, नगर पालिका<br>निगम.                    | 15 कार्च<br>दिवस.                          | अपर आयुक्त<br>नगरीय विकास<br>एवं आवरस                  |

|      | 111111111111111111111111111111111111111  |   |                  |   |                  |   |
|------|--|---|------------------|---|------------------|---|
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)              | (5)   | (6)              | (7)   |
| 22.6 | औषि एवं प्रसाधन सामग्री<br>नियमाजली, 1945 के<br>नियम 69(1) एवं 90(1)<br>के अंतर्गत औषि निर्माण<br>लायसेंगें में 10 से अधिक<br>औषियों की अनुमति<br>वारी करना, | अनुज्ञापन प्राधिकारी<br>कार्यालय, नियंत्रक, खाड<br>एवं औषधि प्रशासन,<br>मध्यप्रदेश, | 15 कार्य<br>दिवस | नियंत्रक, खादा एवं<br>औषधि प्रशासन,<br>मध्यप्रदेश | 15 कार्य<br>दिवस | सचित्र, मध्यप्रदेश<br>शासन, लोक<br>स्वास्थ्य एवं<br>परिवार कल्याण<br>विभाग, मंत्रालय,<br>भोपाल. |

### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अन्तर्गत कार्यालय राजस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की सेवाएं

| सेवा | सेवाएं   | पदाभिहित अधिकारी  | सेवा प्रदान                    | प्रथम अपील   | प्रथम अपीर                           |   |
|------|--|---|--------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 95.  |  | का पदनाम  | करने की<br>निश्चित<br>समय-सीमा | अधिकारी का<br>पदनाम                                    | के निराकर<br>को निश्चित<br>गई समय-सी | की पदनाम  |
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)                            | (5)  | (6)                                  | (7)   |
| 36.1 | मध्यप्रदेश<br>सोसायटी<br>रजिस्ट्रीकरण  | असि. रजिस्ट्रार फर्म्स<br>एनं संस्थाएं, भोपाल<br>(भोपाल नर्मदापुरम  | 20 कार्य<br>दिवस               | डिप्टो रजिस्ट्रार, फर्म्स<br>एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश, | 30 कार्य<br>दिवस.                    | रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं<br>संस्थाएं, मध्यप्रदेश. |
| 36.3 | भारतीय<br>भागीदारी<br>अधिनियम,<br>1932 के<br>अधीन<br>भागीदारी फर्म<br>के पंजीवन<br>संबंधी सेवा<br>(भारा 59). | असि. रिजस्ट्रार फर्म्स<br>एवं संस्थाऐ, भोपाल<br>(भोपाल नर्भदापुरम<br>राजस्य संभाग) इंदौर<br>(इंदौर राजस्य संभाग)<br>रोजा (रीजा एवं<br>राहजोल राजस्य<br>संभाग) जयलपुर<br>(जयलपुर राजस्य<br>संभाग) एवं न्यालियर<br>(ग्यालियर एवं चंजल<br>राजस्य संभाग). | 20 कार्य<br>दिवस.              | डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स<br>एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश  | 30 कार्य<br>दिवस.                    | रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं<br>संस्थाएं, मध्यप्रदेश. |

### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग (वाणिज्य कर विभाग ) की सेवाएं

| सेवा | सेवाएं                   | पदाभिहित अधिकारी                          | सेका प्रदान  | प्रथम अपील                                    | प्रथम अपोल                    | द्वितीय अपील                         |
|------|--------------------------|---|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| 肿.   |                          | का पदनाम                                  | करने की  | अधिकारी का                                    | के निराकरण                    | प्रविधकारी का                        |
|      |                          |   | निश्चित<br>समय-सोमा  | पदनाम   | की निश्चित की<br>गबी समय-सीमा | पदनाम                                |
| (1)  | (2)                      | (3)                                       | (4)  | (5)   | (6)                           | (7)                                  |
| 43.1 | दस्तावेजों का<br>पंजीयन. | संबंधित उप<br>पंजीयक/वरिष्ठ उप<br>पंजीयक. | 24 ঘট<br>(বিধিক<br>एखं<br>तकनीकी<br>अहताओं<br>को पूर्वि<br>होने पर), | संबंधित जिला<br>पंजीकक/वरिष्ठ<br>जिला पंजीयक. | 30 दिन                        | संबंधित उप<br>महानिरोक्षक<br>पंजीयन. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरिरंजन राज, सांच्य.

### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत आबकारी विभाग की सेवाएं

| सेचा<br>क्र. | सेवाएं   | पदाधिहित अधिकारी<br>का पदनाम                                   | सेवा प्रदान<br>करने को     | प्रथम अपील<br>अधिकारी का | प्रथम अपील<br>के निराकरण            | द्वितीय अपील<br>प्राधिकारी का                        |
|--------------|--|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| (1)          | (2)  | (3)  | निश्चित<br>समय-सीमा<br>(4) | पदनाम<br>(5)             | की निश्चित की<br>गई समय-सीमा<br>(6) | पदनाम<br>(७)   |
| 33.1         | औषध<br>विनिर्माण<br>के लिए<br>एल-1<br>लाईसेंस. | जिला स्तर पर<br>सहायक आवकारी<br>आयुका/जिला<br>आवकारी अधिकारी.  | 07 कार्य<br>दिवस           | आबकारो आयुक्त, म. प्र.   | 10 कार्य<br>दिवस.                   | प्रमुख सचिव,<br>म.प्र. शासन,<br>वाणिण्य कर<br>विभाग. |
| 33.2         | औषध<br>विनिर्माण<br>के लिए<br>एल-2<br>लाइसेंस. | जिला स्तर पर<br>सहायक आववारी<br>आयुक्त/जिला<br>आयकारी अधिकारी, | 07 कार्य<br>दिवस.          | जिल्हा कलेक्टर           | 10 कार्व<br>दिवस.                   | आयकारो<br>अधुका,<br>म. प्र.                          |

### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की भारा 3 के तहत वाणिन्य, उद्योग एवं रोजागर विभाग की सेवाएं

| सेवा<br>क्र. | सेवाएं   | पदाभिहित अधिकारी<br>का पदनाम           | सेवा प्रदान<br>करने की<br>निश्चित<br>समय सीमा | प्रथम अपील<br>अधिकारी का<br>यदनाम                       | प्रथम अपील<br>के निराकरण<br>की निश्चित की<br>गवी समय-सीमा | हितीय अपील<br>प्राधिकारी का<br>पदनाम  |
|--------------|--|--|---|---|---|---------------------------------------|
| (1)          | (2)  | (3)                                    | (4)   | (5)   | (6)   | (7)                                   |
|              | आशाय-पत्र जारी व<br>वित्तीय सुविधा/<br>सहायता हेतु<br>सैद्धांतिक स्वोकृति<br>पत्र (उद्योग नीति<br>अनुसार), | हरना<br>प्रबंधक (फिस्कल<br>इन्सेंटिक), | 03 कार्य<br>दिवस.                             | महाप्रयंधक/मुख्य<br>महाप्रयंधक<br>(फिस्कल<br>इन्सेटिय), | 07 कार्य<br>दिवस.   | प्रबंध संनालक<br>एम, पी.<br>ट्रायफेक, |

| (1)   | (2)   | (3)   | (4)   | (5)  | (6)               | (7)   |
|---|---|---|---|--|-------------------|---|
| 20.14 विजीय सुं<br>सहायता न<br>का निर्धार                             | की पात्रसा  | राण्य स्तरीय<br>साधिकार समिति<br>(मुख्य सचिव की<br>अध्यक्षता में गठित). | 60 कार्य दिवस.<br>(विधियत पूर्ण<br>आवेदन प्राप्त होने<br>के उपरांत).        | राज्य स्तरीय<br>साभिकार समिति<br>(मुख्य सविव की<br>अध्यक्षता में<br>गठित). | 60 कार्य<br>दिवस, | निवेश संवर्द्धन<br>पर मंत्री परिषद<br>समिति (सी सी<br>आई सी). |
| 20.15 वेट/जीएस<br>वितरण (1<br>01-07-2<br>जीएसटी !<br>अंतर्गंद प्र     | दिनांक<br>१९१७ से<br>प्रणाली                              | एम. पी. ट्रायफेक का<br>संचालक गेंद्रल.                                  | 60 करवे दिवस.<br>(विधियत पूर्ण<br>आवेदन प्राप्त<br>होने के उपरांत).         | प्रमुख स्वीचय,<br>व्यक्तिच्य, उद्योग<br>एवं रोजगार<br>विभाग,               | 60 कार्य<br>दिवस. | राज्य स्तरीय<br>साधिकार समिति<br>(एस एल ई सी)                 |
| 20.16 यृहद श्रेण<br>टेक्सटाईल<br>हेतु ज्यान                           | इकाइयों   | प्रबंध संचालक,<br>एम. पी. ट्रायफेक,                                     | 45 कार्य दिवस.<br>(विभिन्नत पूर्ण<br>आवेदन प्राप्त होने<br>के उपरांत).      | प्रमुख सचिव,<br>काणिज्य, दद्योग<br>एवं रोजगार<br>विधाग.                    | 30 कार्य<br>दिवस. | रान्य स्टरोय<br>साधिकार समिति<br>(एस एल ई सी)                 |
| 20.17 अधोसरक<br>पर हुये न<br>प्रतिपूर्ति (<br>पानी एवं<br>निर्माण हेर | स्ययंकी<br>(विजली,<br>सड़क                                | प्रजंध संचालक,<br>एम, पी, ट्रायफेक,                                     | 45 कार्य दिवस,<br>(विधिक्ता पूर्ण<br>आवेदन प्राप्त<br>होने के उपरांत).      | प्रमुख सनिव,<br>वाणिव्य, उद्योग<br>एवं रोजगार<br>विभाग,                    | 30 कार्व<br>दिवस  | राज्य स्वरीय<br>साधिकार समिति<br>(एस एल ई सी)                 |
| 20.18 औसोगिक<br>स्थापनार्गर<br>सहायता.                                |   | प्रबंध संचातक,<br>एम. थी. ट्रावफेक.                                     | 45 कार्ये<br>दिवस.<br>(विधिवत पूर्ण<br>आवेदन प्राप्त<br>होने के<br>उपरांत). | प्रमुख सचिव,<br>वाधिज्ञ, उद्योग<br>एवं रोजगार<br>विभाग,                    | 30 कार्य<br>दिवस  | राज्य स्तरीय<br>साधिकार समिति<br>(एस एल ई सी)                 |
| प्रणालियों  | शष्ट प्रवंधन<br>(ईंटीपी/<br>आदि) की<br>मर पूंजी<br>(इस्सि | प्रबंध संचालक,<br>एम, पो. ट्रायफेक,                                     | 45 कार्य दिवस,<br>(विधिवत पूर्ण<br>आवेदन प्राप्त<br>होने के उपरांत).        | प्रमुख सचिव,<br>व्याणिव्य, उद्योग<br>एवं रोजगार<br>विभाग,                  | 30 कार्य<br>दिवस. | राज्य स्तरीय<br>साधिकार समिति<br>(एस एल ई सी                  |

| (1)  | (2)   | (3)   | (4)               | (3)  | (6)                | (7)   |
|------|---|---|-------------------|--|--------------------|---|
|      | कार जाना आंधनियम<br>1948 को गारा को धारा<br>6, 7 सहप्रदित नियम 7<br>के अंदर्गत गैर जतरनाक<br>भेगी के कारखानों को<br>नधीन अनुस्त्रित का<br>नजीनीक रण/मंशोधन<br>किया जाना<br>-101 से 250 क्षमिक<br>तक का नियोजन | अतिरिक्तं मुख्य<br>कारावाना निरोशक<br>सम्बोधित क्षेत्र (संयुक्त<br>तंचालक, श्रीद्योगिक<br>स्वास्थ्य (सं सुरक्षा). | हर यहर्ष<br>दिचस. | मुख्य का खाना<br>निरोक्षक, न. ग्र.<br>इन्दीर (संचालक,<br>जीधोगिक म्लस्थ्य<br>एतं सुरक्ष).                    | 30 ਵਜਬੰ<br>ਵਿਚਲ,   | अम् आनुक्त,<br>ग. प्र. इंदॉर  |
| (71) | कारसाना अधिनियम<br>1948 की शार को धार<br>6, 7 सहपाँका नियम 7<br>के अंतर्गत पैर खतरनाक<br>श्रेणी के कारसानों की<br>नयीन अपुर्शांच का<br>नयीनीकरण, यंशीधन<br>किश्री कथा.<br>-10 से 100 अधिक<br>तक कर नियोजन.    | संयुक्त मुख्य कारवान<br>निरीधक, सम्बंधित क्षेत्र<br>(उप संनालक,<br>श्रीद्योगिक स्यास्थ्य एवं<br>सुरक्षा).         | २८ कार्य<br>दिवसः | आविरिक मुख्य<br>कारखान विरोधक<br>सम्बंभित क्षेत्र<br>(संयुक्त संचालक,<br>औद्योगिक स्वास्थ्य<br>एवं सुरक्षा). | 30 कार्ग<br>दिवस   | मृद्ध्य कारखाना<br>निर्देशक, प. प्र.<br>इंद्रीय (संचालक,<br>औद्योगिक<br>स्वास्थ्य एवं<br>सुरुक्षा).                 |
|      | कारखाना अधिनियम्<br>1948 की धारा की धारा<br>6, 7 सहपटित निर्माप 7<br>के अंतर्गत गैर सहरताक<br>श्रेणी के जारखानों की<br>नश्रीन अनुसापन का<br>नश्रीनीकारण/संशोधन<br>किया जाना.<br>-09 अधिक तक का<br>नियोजण.     | तम पुरत कारवान<br>निरीक्षक, सम्बंधित क्षेत्र<br>(सङ्ग्यक संचालक,<br>ऑडोमिक स्वास्थ्य एवं<br>सुरक्षा)              | ३० कार्ग<br>दियस. | संयुक्त पुष्य<br>कारकाता विशेषकः,<br>सम्बंधित क्षेत्र<br>(उप संचालकः,<br>अधिकित स्वास्थ्य<br>एवं मुख्या).    | at কার্য<br>বিজয়, | आंगरिक पुष्प<br>कारखान<br>निरीक्षक,<br>सम्बंधित क्षेत्र<br>(मंयुक संचालक,<br>अंग्रीमिक<br>स्वास्थ्य एवं<br>मुख्या). |

मध्यप्रदेश के सच्यामल के नाम से तथा आदेशानुसार, हमिरंजन राख, अस्तिक,

| (1)  | (2)   | (3)  | (4)               | (5)                | (6)               | (7)          |
|------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 2.16 | भोट परिवहन कर्णकप<br>अधिनियम, 1961 के<br>अंतर्गत पंजीवन एवं<br>लाक्सेंस का प्रवास करना. | जिला स्वरीय शम<br>कांप्रकारी / जिले में<br>राजपत्रित प्रेणी का<br>अधिकारी मदस्य व<br>सीने पर मंजधित संभाग<br>का सहायक अगामुक,                        | 30 कार्न<br>दिवय, | <u>क्रहोत्तरह</u>  | ३० कार्य<br>दिवमः | संभाः आयुक्त |
| .17  | भवन एवं अन्य संविधीण<br>कर्षक र अभिनयम,<br>1996 के अंतरीत पंजीयन<br>का प्रदाय           | राजवजिल श्रेणी का<br>जिला स्तरीय श्रम<br>अधिकारी / जिले में<br>राजपजिल श्रेणी का<br>अधिकारी जरस्य न<br>होने मर सर्वाधन संभाग<br>का सहायक श्रमासुक्त. | 30 कार्प<br>रिवस. | ક્ક્તોક્ટ <b>ન</b> | ∌ कर्ग<br>दिसम्र  | संभाग आयुक्त |

क. एमा 2-13-2012 इकसक होतेष्र मी एम्.जो 2 प्रभ्यप्रदेश लोक सेवाओं के इदान की गारेसे अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धात 3 हास प्रदेश शांकरों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य रास्कार एल्ट्राम अधिनृत्या का एफ. १-13-2012-इकसक होरोप्त दिनोक 23 दिसम्बर 2014 में अब विभाग से मंत्रीधत सेवाओं (2.11 एवं 2.12) को विलोधित करते हुए हम विभाग हारा उपलब्ध करवाई जाने वालो सेवाएं पदाधिश्व अधिकारी यह पदनाम, सेवाएं प्रदान करते के लिये विश्वत की गई समय सीमा प्रथम अधीन अधिकारी का पदनाम, प्रथम अधीन अधिकारी का पदनाम प्रथम अधीन अधिकारी दिन पदनाम गिमापुसार अधिस्तुचित करतों है, अर्थात :—

### मध्यप्रदेश लोक संघाओं के प्रदान की गरंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् क्षम विभाग की संघाएं

| सेया<br>इ.   | <u>सेवाएं</u>   | पदाभिहित अभिकारी<br>का पदलम   | तेया प्रदान<br>करने की<br>निश्चित<br>समय-सीमा | प्रथम अपील<br>शक्षिकारी का<br>पदनाम | एथम् अपीता<br>के विश्वकरण<br>की विश्वित की<br>गई समय-सीना | डितीय अपील<br>प्रतिबंधी का<br>पदनाम       |
|--------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|
| (1)          | (2)   | (3)   | (4)   | (5)                                 | (6)   | (7)                                       |
| 2.11         | कारमाना आंधिनिश्म,<br>1948 की भाग की भाग<br>6, 7 राहपदित निषम 6<br>के अवर्णत पेर सम्बनाक<br>बेरी के कारमानी की<br>नवीन अनुप्रतिक कारी<br>किया जना.  | मुख्य कारखाना<br>निर्वेशक, म. प्र. इतीर<br>(जंनातक, औद्योगिक<br>स्थास्थ्य एवं सुरक्षा). | 30 ਵਨਬੰ<br>ਵਿਰਚ:                              | श्रम आयुक्त, म. १८.<br>इसीट         | 30 कार्य<br>दिवस  | प्रमुख स्टिब्ह /<br>स्रोत्चर,<br>धन विभाग |
| 2.12<br>(46) | कार जाना अधिनियम<br>1948 की भार को धार<br>6, 7 राज्यकित नियम 7<br>के अंतर्गत गैर खतयाक<br>संघों के क्याउदानों की<br>मधीन अनुसारित का<br>नदी नीक स्थारन शोधन<br>किया जान.<br>250 अभिक्त से अधिक<br>का निजीवन | मुख्य कारखाना<br>भिर्माश्रक म. ॥. इन्हीर<br>(संचानक, श्रीशोपिक<br>स्थारब्य एवं सुन्धा). | ३० न्यार्थ<br>दिवस                            | श्रम आयुक्त, न. ध.<br>इंटीर,        | 30 कर्न<br>दिसम   | अमुख्य सचित्र /<br>सचित्र,<br>प्रव विधान  |

45 कार्य

दिवस

अपर शमायुक्त/

श्रमाधृक्त.

2.9 संविद्धा प्रम ( वि. एवं स्वयंत्रित क्षेत्री का जिला 30 कार्य उप प्रमायुक्त स.) अधिविद्यम, 1970 सारीच प्रम अधिकारी/ दिवस के अन्तर्गत सेकेदारों जिले में सम्पन्नित क्षेत्री को अधिकारी पदस्य म को अधिकारी पदस्य म को नवीनीकरण का प्रदाय.

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 38.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. संचालक, वाष्पयंत्र, द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसृचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. संचालक वाष्ययंत्र की सेवाएं

| सेवा<br>क्र. | सेवाएं  | पदाभिहित अधिकारी<br>का पदनाम  | सेवा प्रदान<br>करने की<br>निश्चित<br>समय-सोमा | प्रथम अपील<br>अधिकारी का<br>पदनाम                  | प्रथम अपील<br>के निराकरण<br>की निश्चित की<br>गई समय-सीमा | द्वितीय अपील<br>प्राधिकारी का<br>पदनाम |
|--------------|---|---|---|--|--|--|
| (1)          | (2)   | (3)   | (4)   | (5)  | (6)  | (7)                                    |
| 38.1         | बायलर<br>अधिनियम<br>1923 की धारा<br>7 के अंतर्गत<br>बायलर का<br>पंजीयन. | निरीक्षक बायलर ग्रेड 2/ग्रेड प्रथम/उप संचालक बायलर (संचालक बायलर द्वारा कार्यक्षेत्र आवंटन के अंतर्गत नामित अधिकारी). | 30 कार्य<br>दिवस.                             | निरोक्षक बायलर ग्रेड-<br>प्रथम/उप संचालक<br>बायलर. | 20 कार्य<br>दिवस.  | संचालक<br>बायलर.                       |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरिरंजन राव, सचिव.

### भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-38.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. संचालक वाष्ययंत्र द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली नवीन सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. संचालक वाष्ययंत्र की सेवाएं

| सेवा | सेवाएं         | पदाभिहित अधिकारी     | सेवा प्रदान   | प्रथम अपील   | प्रथम अपील    | द्वितीय अपील   |
|------|----------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 豖.   |                | का पदनाम             | करने की       | अधिकारी का   | के निराकरण    | प्राधिकारी क   |
|      |                |                      | निश्चित       | पदनाम        | की निश्चित की | पदनाम          |
|      |                |                      | समय-सीमा      |              | गई समय-सीमा   |                |
| (1)  | (2)            | (3)                  | (4)           | (5)          | (6)           | (7)            |
| 18.2 | बायलर          | निरोक्षण बायलर       | 17 कार्य दिवस | संचालक बायलर | 30 कार्य      | प्रमुख सचिव,   |
|      | अधिनियम 1923   | ग्रेड-2/ग्रेड प्रथम/ |               |              | दिवस.         | वाणिज्य उद्योग |
|      | की धारा 8 के   | उप संचालक            |               |              |               | एवं रोजगार     |
|      | अंतर्गत बायलर  | बायलर (संचालक        |               |              |               | विभाग.         |
|      | का निरीक्षण.   | बायलर द्वारा         |               |              |               |                |
|      |                | कार्यक्षेत्र आवंटन   |               |              |               |                |
|      |                | के अंतर्गत नामित     |               |              |               |                |
|      |                | अधिकारी).            |               |              |               |                |
|      | भारतीय बायलर   | निरीक्षण बायलर       | 30 कार्य दिवस | संचालक बायलर | 30 कार्य      | प्रमुख सचिव,   |
| 8.3  | विनियम 1950    | ग्रेड-2/ग्रेड प्रथम/ | 30 4114 1444  | dates and    | दिवस.         | वाणिज्य उद्योग |
|      | के विनियम 392  | उप संचालक            |               |              | 14-1111       | एवं रोजगार     |
|      | (5) के अंतर्गत | बायलर (संचालक        |               |              |               | विभाग.         |
|      | वायलर          | बायलर द्वारा         |               |              |               |                |
|      | निर्माणकर्ता   | कार्यक्षेत्र आवंटन   |               |              |               |                |
|      | इकाईयों का     | के अंतर्गत नामित     |               |              |               |                |
|      | अनुमोदन.       | अधिकारी).            |               |              |               |                |
|      | - Tutu         |                      |               |              |               |                |
| 8.4  | भारतीय वायलर   | निरोक्षण बायलर       | 30 कार्य दिवस | संचालक बायलर | 30 कार्य      | प्रमुख सचिव,   |
|      | विनियम 1950    | ग्रेड-2/ग्रेड प्रथम/ |               |              | दिवस.         | वाणिज्य उद्योग |
|      | के विनियम 392  | उप संचालक            |               |              |               | एवं रोजगार     |
|      | (5) के अंतर्गत | बायलर (संचालक        |               |              |               | विभाग.         |
|      | वायलर          | वायलर द्वारा         |               |              |               |                |
|      | इरेक्शनकर्ता   | कार्यक्षेत्र आवंटन   |               |              |               |                |
|      | इकाईयों का     | के अंतर्गत नामित     |               |              |               |                |
|      | अनुमोदन.       | अधिकारी).            |               |              |               |                |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरिरंजन राव, सचिव.